# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय,देवास(म.प्र.)

लक्ष्मीबाई मार्ग, भोपाल चौराहा, देवास (म.प्र.) दूरभाष – 07272–297049

Email- govtlawcollegedewas@gmail.com, hegcdewdew@mp.gov.in

Website - www.govtlawcollegedewas.org


क्रमांक 283/विधि/2022 दिनांक 16.08.2022

**:: पुस्तकें क्रय हेतु निविदा विज्ञप्ति ::**

वित्तीय वर्ष **2022–23** में शासकीय विधि महाविद्यालय, देवास, जिला देवास (म.प्र.) के ग्रंथालय के लिए छात्र उपयोगी विधि संकाय की पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति मद में प्राप्त धनराशि से एक लाख रू. की **एलएल.बी. की पुस्तकें क्रय** एवं एक लाख रू. की **एलएल.एम. की पुस्तकें क्रय** करने के लिए मोहर बंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पुस्तक विक्रेता प्रकाशक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन की वेबसाईट http://highereducationmp.gov.in पर उपलब्ध निविदा का अवलोकन कर निविदा विज्ञप्ति के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में निविदाऐं प्रस्तुत करें।

निविदा एवं सुरक्षा निधि की शर्ते शासकीय विधि महाविद्यालय, देवास जिला देवास (म.प्र.) द्वारा तय की जावेगी। निविदाओं में प्रकाशित मूल्य पर छुट की दर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से अंकित की जावे।

(डॉ अजय कुमार चौहान)
प्राचार्य
शासकीय विधि महाविद्यालय,
देवास (म.प्र.)

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय,देवास(म.प्र.)

लक्ष्मीबाई मार्ग, भोपाल चौराहा, देवास (म.प्र.) दूरभाष – 07272–297049
Email- govtlawcollegedewas@gmail.com, hegcdewdew@mp.gov.in
Website - www.govtlawcollegedewas.org

क्रमांक 284/विधि/2022 दिनांक 16.08.2022

## :: शर्ते एवं नियमावली ::

वित्तीय वर्ष **2022–23** हेतु शासकीय विधि महाविद्यालय, देवास जिला देवास (म.प्र.) के ग्रंथालय हेतु छात्रोपयोगी नवीन पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु निम्न शर्ते/नियमावली के अधीन पुस्तक विक्रेता/प्रदायकर्ता निविदा महाविद्यालय में प्रस्तुत करें।

1. निविदा भरने वाले पुस्तक विक्रेता/प्रदायकर्ता को दी गई समय सीमा के अंदर निर्धारित दरों पर सूची के अनुसार आदेश की पूर्ति करनी होगी ऐसा न करने पर क्रयादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं क्रमिक निविदाकर्ताओं का महाविद्यालय आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा। आपूर्ति के अभाव एवं प्रकाशन में पुस्तक होने के उपरान्त भी प्रदायकर्ता द्वारा 100 प्रतिशत क्रय आदेश की पुस्तकों की सूची के अनुसार प्रदाय करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी जो वापस नहीं की जावेगी एवं संबंधित फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही भी किया जा सकता है।
2. पुस्तकें नवीनतम संस्करण की होनी चाहिए।
3. पुस्तकों पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होगा मुद्रित न होने पर प्राईस प्रुफ देना अनिवार्य है।
4. पुस्तकें यदि पायरेटेड पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित पुस्तक विक्रेता/प्रदायकर्ता का होगा, तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जावेगा।
5. पुस्तक विक्रेता/प्रदायकर्ता जी.एस.टी. नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें।
6. म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही की जावेगी। निविदा की अमानत राशि रूपये 2000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट वापसी योग्य संलग्न होना आवश्यक है। जो कि प्राचार्य शासकीय विधि महाविद्यालय, देवास, जिला देवास के नाम देय होगा।
7. निविदा की शर्ते एवं दर में परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
8. एफ.ओ.आर. शासकीय विधि महाविद्यालय, देवास, जिला देवास (म.प्र.) को सौंपना होगा।
9. निविदाओं में सम्मिलित होने वाले पुस्तक विक्रेता/प्रदायकर्ता क्रयादेश के पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ब्लैक लिस्टेड नहीं होने के संबंध में शपथ–पत्र में लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
10. निविदा शर्तो के अनुरूप भाव–पत्र नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(डॉ. अजय कुमार चौहान)
प्राचार्य,
शासकीय विधि महाविद्यालय, (म.प्र.)
देवास (म.प्र.)